कैम्प कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।
प्रशासनिक आदेश संख्या– 263 दिनांक: 29 जुलाई, 2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक कमांक 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 28 जुलाई, 2020 के द्वारा उन न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों जो कि कंटनमेंट जोन में स्थित हैं और पत्रांक कमांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के प्रस्तर 14 व 15 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बन्द चल रहे हैं, में अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालयों के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सी0एम0एम0, सिविल जज (सी0डि0) व सिविल जज (जू0डि0) वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से आवंटित समयावधि (Time Slot) के अन्तर्गत लम्बित जमानत प्रार्थना पत्रों, नए जमानत प्रार्थना पत्रों, पूर्वाभाषी जमानत प्रार्थना पत्रों, आवश्यक आपराधिक प्रार्थना पत्रों, आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्रों जैसे कि निषेधाज्ञा के मामले, विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड का कार्य या अन्य कार्य जिसे जनपद न्यायाधीश उचित समझें, करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिला न्यायालय की एक समर्पित Email ID बनायी जाएगी जिसे जिला न्यायालय की वेवसाइड पर जारी/प्रकाशित किया जायगा इस Email का प्रयोग, जमानत व पूर्वाभाषी जमानत प्रार्थना पत्र व आवश्यक जमानत प्रार्थना पत्रों के प्राप्त करने हेतु किया जाएगा। जिला न्यायालय की उपरोक्त Email पर जो भी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र भेजेंगे उसमे उनका, वादकारी का सम्पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर व Email ID सहित लिखा जाएगा। कम्प्यूटर अनुभाग इस तरह के प्रार्थना पत्रों को डाउनलोड करेगा और उसकी आवश्यक लिस्ट Generate करेगा। कम्प्यूटर अनुभाग सुनिश्चित करेगा कि Email से प्राप्त आवश्यक प्रार्थना पत्र CIS पर पंजीकृत हो जाएं और उनमे यदि कोई त्रुटि हो तो उसी दिन अधिवक्ता सूचित हों जो प्रार्थना पत्र त्रुटिविहीन होंगे उनमे CIS नम्बर पड़ने के बाद सुनवाई के लिए 48 घंटे बाद अथवा जैसा कि विधि का प्रावधान हो, सुनवाई हेतु नियत किए जाएंगे। आवश्यक प्रार्थना पत्रों के अलावा यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उनमे सामान्य तिथि नियत की जाएगी। CIS मे मामलों को अपडेट करने के लिए सिस्टम आफीसर, असिस्टेंट सिस्टम आफीसर, डी एस ए एस व अन्य स्टाफ की सेवायें ली जाएगी। जमानत प्रार्थना पत्र/पूर्वाभाषी जमानत प्रार्थना पत्रों की कापी अभियोजक/जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को दी जाएगी जिसके लिए स्थानीय तौर पर कोई प्रकिया बनायी जाएगी। अभियोजक/जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को प्रार्थना पत्रों पर जवाब देने हेतु समय दिया जाएगा। एक समर्पित फोन सहायता अधिवक्ताओं व वादकारियों की सहायता के लिए लैंडलाइन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर को देते हुए बनायी जाएगी और उसे जिला न्यायालय की वेवसाइड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस फोन सहायता के माध्यम से कोई भी सूचना मामलों के लिस्ट होने के सम्बन्ध मे, अधिकारियों के आवंटित टाइम स्लाट के सम्बन्ध में, आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध मे दी जाएगी। अधिवक्ता संघ व पदाधिकारियों से अपनायी जा रही कार्यपद्धति के सम्बन्ध मे विचार विमर्श किया जाएगा।

ई--मेल के माध्यम से प्राप्त आवश्यक प्रार्थना पत्र व लम्बित प्रार्थना पत्र/अभिलेख, सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को उसके आवास पर प्राप्त कराये जायेंगे जिनके सम्बन्ध मे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उसके द्वारा सुनवाई की जानी है। न्यायालय की वीडियो कांफ्रेसिंग प्रकिया मे JITSI साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, लिंक को विद्वान अधिवक्ता/अभियोजक को सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा Share किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता/अभियोजक Court Proceedings मे वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से दिए गए लिंक से दीवानी न्यायालय परिसर को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान से सम्बन्धित अधिकारी से, उसे आवंटित टाइम स्लाट मे जुड़ जायेंगे। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण आदेशों के अपलोडिंग व जमानत प्रार्थना पत्रों के स्वीकार करने व रेलीज आदेश के जारी करन के सम्बन्ध मे कोई स्थानीय प्राक्रिया बनायी जाएगी। न्यायिक कार्य के लिए अभियोजक व जेल के अधिकारियों के मध्य आवश्यक समन्वय बनाया जाएगा। आवश्यक प्रार्थना पत्रों/मामलों के निस्तारण के समय विधिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विचाराधीन बन्दियों के सम्बन्ध मे न्यायिक कार्य व रिमाण्ड करने के लिए, जमानत प्रार्थना पत्रों के सत्यापन, रिलीज आदेश जारी करने हेतु स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था जिला जज करेंगे। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जो कार्यवाही की जाएगी उसमे न्यूनतम कर्मचारियों की सेवायें ली जाएगी। अपनायी जा रही न्यायिक प्रकिया को मीडिया मे दिया जाएगा और जिला न्यायालय की वेवसाइट पर डाला जाएगा। जो न्यायिक अधिकारी कंटेनमेंट जोन मे निवास कर रहे हैं, उन्हे न्यायिक कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी अधिवक्ता व वादकारी न्यायालय परिसर मे किसी भी दशा मे प्रवेश नहीं करेगा। नयी अपनायी जा रही प्रकिया से निष्पादित किए जा रहे कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध मे प्रत्येक दिन माननीय उच्च न्यायालय के CPC कार्यालय मे आख्या भेजी जाएगी।

दीवानी न्यायालय परिसर के कंटेनमेंट जोन मे होने के कारण जिलाधिकारी, कानपुर नगर व मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक आदेश सं0 259 दिनांकित 25.07.2020 के द्वारा दिनांक 05.08.2020 तक के लिए बन्द कर दिया गया है। इसी मध्य मेरे द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर से पत्रांक सं0 1162/1 दिनांकित 19.07.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि सिविल कोर्ट के आसपास कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थान वह उपलब्ध करावें जिसमे इंटरनेट की पूरी सुविधा हो और जहां Virtual Court Room बनाया जा सके जिससे सिविल कोर्ट के कंटेनमेंट जोन मे रहने के दौरान भी आवश्यक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा सके। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्रांक कमांक 607/एसटी–अ0जि0अ0–नगर/2020 दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर स्थित हाल को Virtual Court बनाए जाने हेतु चिन्हित किया गया है जिसे इंटरनेट आदि सुविधायें करने के उपरान्त Virtual Court के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 11/नोडल आफीसर कम्प्यूटर श्री बालकृष्ण एन0 रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 17/अध्यक्ष कम्प्यूटर कमेटी श्री सैफ अहमद व सचिव, डी0एल0एस0एस0/अतिरिक्त नोडल

[illegible] इसकी रिपोर्ट में यह भी [illegible] Virtual Court [illegible] कानपुर नगर के आवास से [illegible] Virtual Court [illegible] अतः मेरे विचार से राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर जो कि कंटेनमेंट जोन मे नहीं है तथा दीवानी न्यायालय कानपुर नगर के करीब है, के हाल में दो Virtual Court का संचालन किया जा सकता है जहां अधिवक्तागण व अभियोजक जमानत प्रार्थना पत्रों पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों जो कि अपने–अपने आवास पर अभिलेखों के साथ होंगे, से आवंटित टाइम स्लाट मे जुड़ेंगे और बहस करेंगे। उक्त स्कूल के बाहर आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सूची सम्पूर्ण विवरण के साथ न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से [illegible] के पूर्व ही लगा दी जाएगी तथा इसकी सूचना अधिवक्तागण को ई–मेल के माध्यम से न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। [illegible] राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर [illegible]

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश सं0 3 लगायत 11 के अनुपालन हेतु [illegible] श्री [illegible] अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सं0 2, श्री [illegible] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 11 / [illegible] कानपुर, [illegible] अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 17 / [illegible] कानपुर, श्री [illegible]

[illegible] राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर [illegible] 30.07.2020 [illegible]

[illegible] कानपुर नगर [illegible] इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर [illegible]

लगायेंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि केवल वह अधिवक्ता स्कूल मे प्रवेश करे जिनके पास बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पहचान पत्र हो, जिनका आवश्यक प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु लम्बित है व जिन्हें आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना हो तथा वह कंटेनमेंट जोन से न आये हों। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिवक्तागण स्वयं का मास्क लगाकर और स्वयं के सैनेटाइजर के साथ आयेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर से अपेक्षा की जाती है कि वह राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर के गेट के बाहर जिससे अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी जो कम्प्यूटर अनुभाग से जुड़े हैं व न्यायालय के कर्मचारी न्यायिक कार्य के लिए अन्दर प्रवेश करेंगे, वहा सैनेटाइजर की व्यवस्था हो तथा थर्मल टेस्टिंग के लिए प्रातः 10 बजे से 5 बजे सायं तक वहां चिकित्सक मौजूद रहें। यदि दिनांक 30.07.2020 को राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर का सैनेटाइजेशन व सफाई पूरी तरह से नगर निगम द्वारा कर दी जाती है तो दिनाक 31.07.2020 से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्येम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के प्रकाश मे न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाना प्रारम्भ कर दिया जाएगा। अग्रिम प्रशासनिक आदेश मेरे द्वारा अधिकारियों के नाम और उनके टाइम स्लाट निर्धारित करने हेतु दिनांक 30.07.2020 को पारित किया जाएगा।

आज पारित आदेश को जिला न्यायालय की वेवसाइड पर डाल दिया जाए तथा इस आदेश से सभी अधिकारीगण, बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर के पदाधिकारी सूचित हों।

(अशोक कुमार सिंह-III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि-

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवलोकनार्थ।
2. सभी सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण जो बनायी गयी समिति मे नामित हैं।
3. जिलाधिकारी व नगर आयुक्त, कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ कि राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर का सैनेटाइजेशन व सफायी दिनांक 30.07.2020 को करायी जाये।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ कि वह दिनांक 31.07.2020 से जबतक राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर मे वर्चुअल कोर्ट का संचालन हो रहा है, प्रत्येक दिन उसके प्रवेश द्वार पर चिकित्सक लगायेंगे जो प्रवेश करने वाले अधिवक्ता/ कर्मचारियों की थर्मल टेस्टिंग करेंगे तथा प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि अन्दर जाने वाले व्यक्ति सैनेटाइजर का प्रयोग कर सके।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस अपेक्षा के साथ कि दिनांक 31.07.2020 से जबतक न्यायिक कार्य राजकीय इण्टर कालेज चुन्नीगंज, कानपुर नगर मे सम्पादित हो रहा है तबतक वहां प्रातः 10 बजे से 5 बजे सायं तक आवश्यक पुलिस बल लगायेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वही अधिवक्ता विद्यालय मे प्रवेश करेंगे जिनके पास बार काउंसिल आफ उ0प्र0 द्वारा जारी पहचान पत्र हो, जो कंटेनमंज जोन से न आये हों और जिनका आवश्यक प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु लम्बित है।
6. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर व
7. संयुक्त निदेशक अभियोजन को इस अपेक्षा के साथ कि आवंटित टाइम स्लाट मे सम्बन्धित न्यायालयों के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियोजन अधिकारी वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित रहेंगे।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।